

वन संरक्षण अधिनियम- 1980 अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति लेने बावत् प्रस्ताव के साथ वांछित दस्तावेजों का विवरण (चेक लिस्ट)

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	सक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवेदक संस्थान का नाम	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई कोरबा	
2	आवेदक संस्थान का स्वरूप (Nature)	एनएच 149बी के चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा भाग में चाम्पा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य	
3	आवेदक संस्थान का मांग पत्र	मांग पत्र न्यूनतम है।	01-05
4	प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	FP/CG/ROAD/37444/2018	06-09
5	स्थान :-		
	(1) राज्य	छत्तीसगढ़	
	(2) जिला	कोरबा, चांपा-जांजगीर	
6	वनो का ब्यौरा :-	कोरबा एवं चांपा जांजगीर वनमण्डल	
	(1) प्रभावित वनमण्डल का नाम		
	(2) प्रभावित वन का क्षेत्रफल	कोरबा वनमंडल जांजगीरचांपा व.मं.	
	(अ) आरक्षित वनक्षेत्र -	-	
	(ब) संरक्षित वनक्षेत्र -	-	
	(स) नारगी वनक्षेत्र -	-	
	(द) राजस्व वनक्षेत्र -	2.82 हे. 1.673 हे	29-40
	योग :-	2.82 हे. 1.673 हे.	
	कुल योग -	4.493 हे.	
	(3) नक्शे	1. सर्वे आफ इंडिया मैप मूल टोपोशीट 1:50000 संलग्न पर	23-28
		2. इंडेक्स मैप - 1:15000 स्कैल	29-40
7	आनलाईन जमा किये गये प्रस्ताव का विवरण		
	(1) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत एवं अग्रेषित किया गया है ?		
	(2) क्या पूर्ण फार्म-ए आनलाईन अपलोड किया गया है ?	हां	
	(3) क्या व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र व्यपवर्तन एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित क्षेत्रों के के.एम.एल./शेप फाईल को वेबसाईन पर अपलोड किया गया है ?	हां	
	(4) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की हार्ड कॉपी अग्रेषित की गई है ?	हां	
8	फार्म -ए का ब्यौरा		
	(1) पार्ट -1 (क्या आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है)	हां	
	(2) पार्ट -2 (वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें यदि हो तो कारण सहित)	हां	
	(3) पार्ट -3 (मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें यदि हो तो कारण सहित)	हां	

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
9	वनमण्डलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण का विवरण	संलग्न है।	
	(1) उप वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-2, प्रपत्र-3)	संलग्न है।	
	(2) वनमण्डलाधिकारी का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किये गये से भिन्न हो, तो विवरण	-	186-197
	(3) मुख्य वन संरक्षक का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किये गये से भिन्न हो, तो विवरण		
10	प्रस्ताव के पार्ट -1 एवं पार्ट -2 (आनलाईन) में शामिल तथ्यों का विवरण	हाँ	
	1. क्षेत्र का टोपोग्राफी	-	
	2. भू-विज्ञान (Geology)	-	
	3. ढाल (स्लोप)	-	
	4. मृदा की गहराई/अपर्दन संवेदनशीलता	-	
11	वनस्पतियों का विवरण		
	1. प्रजातिवार संयोजन (Composition) (वैज्ञानिक नामों सहित)	संलग्न है	
	2. घनत्व एवं इको- क्लास	संलग्न है।	
	3. परियोजना में प्रभावित वृक्षों की संख्या (30 से.मी. से कम गोलाई एवं 30 से.मी. से ज्यादा गोलाई की श्रेणी में आने वाले वृक्षों की संख्या का संक्षिप्त विवरण)	कोरबा वनमण्डल - - नग जांजगीर चांपा वनमण्डल- 03 नग कुल योग 03 नग	79-85
	4. वृक्षों की संख्या अर्थात् पुराने वृक्ष (आम, बरगद, फाइकस इत्यादि) जो विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण के दौरान संरक्षित रखे जा सकें।		
12	वन्यप्राणी		
	1. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलीफेन्ट कारिडोर इत्यादि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का विवरण)	नहीं	
	2. संबंधित वनमण्डलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र से बाहर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र		
	3. क्या क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 10 कि.मी. की दूरी के अंदर स्थित है ?		
	4. क्या भारत शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत Eco-sensitive Zone को अधिसूचित किया है ?		
	5. क्या वनस्पति एवं जीव की कोई दुर्लभ प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है, अगर हां तो उसका विवरण ?		
	6. वन्यप्राणी अधिनियम 1972 के अनुसूची-1 की प्रजातियों का विवरण, अगर कोई हो तो		

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
7.	7. मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक की टिप्पणी		
	8. संबंधित वनमण्डलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी से बाहर/अंदर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	संलग्न है।	
13	1. क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक/धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा सस्थान (Establishment) या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक उस क्षेत्र में स्थित है?	संलग्न है।	
	2. संबंधित वनमण्डलाधिकारी का संरक्षित पुरातात्विक/धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा सस्थान (Establishment) इत्यादि की क्षेत्र में न होने संबंधी प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र संलग्न है।	
4.	1. क्या वन संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां तो उस कार्य का विवरण तथा कृत कार्य की अवधि एवं दोषी अधिकारीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही। क्या कार्य अभी भी प्रगति पर है ?	नहीं	
	2. संबंधित वनमण्डलाधिकारी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने संबंधी प्रमाण-पत्र	संलग्न है।	
5.	1. क्या आवेदक संस्थान द्वारा पार्ट -1 के कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अनिवार्य एवं न्यूनतम है ? अगर नहीं तो आयटमवार अनुशंसित क्षेत्र (विकल्प क्षेत्रों के विवरण की जांच सहित)	संलग्न है।	
	2. संबंधित वन मण्डलाधिकारी का वनभूमि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र	संलग्न है।	
6	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित है ?		
7	वैकल्पिक वृक्षारोपण		
	1. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित भूमि की वैधानिक स्थिति	उपयुक्त है।	128-156
	2. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित गैर वनभूमि/बिगड़े वनभूमि का विवरण लगे हुये वन से उसकी दूरी, पैच की संख्या एवं प्रत्येक पैच का आकार	2355	
	3. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित गैर वनभूमि/बिगड़े वनभूमि एवं लगे हुये वन की सीमा को दर्शाने हेतु नक्शा	संलग्न है।	
	4. विस्तृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जिसमें रोपण की जाने वाली प्रजातियां, क्रियान्वयन, समय सारणी, लागत ब्यौरा इत्यादि शामिल हो।		

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	5. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल वित्तीय परिव्यय (Outlay)	23336507.00 रुपये।	
	6. वृक्षारोपण एवं प्रबंधन के नजरिये से वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	संलग्न है।	
	7. वैकल्पिक वृक्षारोपण का व्यय वहन करने हेतु आवेदक संस्थान विभाग का वचन-पत्र	संलग्न है।	
	8. गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए अनुपलब्धता संबंधी मुख्य सचिव छ.ग. शासन का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	आवश्यकता नहीं है।	
18	मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन-पत्र	संलग्न है।	230-233
19	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT)		
	1. कुल जल ग्रहण क्षेत्र (हे.)		
	2. कुल कल्चरल कमांड ऐरिया (हे.)		
	3. वित्तीय प्रावधान		
20	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का परिपालन	FRA संलग्न है।	215-221
	1. क्या MoEF & CC के दिशा निर्देश दिनांक 05.07. 2013 में निर्धारित प्रावधानों को जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया ?	संलग्न है।	
	2. क्षेत्र एवं ग्राम सभा की संख्या जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है।	संलग्न है।	222-229
	3. ग्राम सभा के प्रस्ताव/वन अधिकार समितियों का कार्यवाही विवरण	संलग्न है।	
	4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2017/10-2 दिनांक 12.01. 2010)	संलग्न है।	
	5. अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण	संलग्न है।	
	6. जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण	संलग्न है।	
21	परीक्षण किये गये वैकल्पिक एलाइन्मेंट का विवरण		
	1. प्रस्तावित विकल्प को चयन करने का औचित्य (लीनियर प्रोजेक्ट)		
	2. अन्य विकल्पों को नामंजूर करने के कारण (लीनियर प्रोजेक्ट)		
	3. गैर वन / शासकीय गैर वन भूमि के परीक्षण का विवरण एवं प्रतिवेदन (नान लीनियर प्रोजेक्ट)		
	4. परियोजना को वन क्षेत्रों में चुनने की अनिवार्यता का औचित्य		
	5. गैर वन / राजस्व भूमि का अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र		

क्र.	जानकारी का ब्योरा	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
22	परियोजना विशिष्ट (चमबपपिब) विवरण		
	1. RoW मौजूदा एवं प्रस्तावित (लीनियर प्रोजेक्ट)	14 मीटर प्रस्तावित	
	2- Horizontal ,oa Vertical Cross sectional नक्शा (लीनियर प्रोजेक्ट)		
	3. RoW में औषधीय पौधों की रोपण योजना का क्षेत्रफल एवं विवरण (ट्रांसमिशन लाइन एवं पवन ऊर्जा परियोजना हेतु)		
	4. विद्युत लाइन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा 3 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्रा क्रमांक 6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)		
	5. जलमग्न क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र, बांध की ऊंचाई, FRL, DRL इत्यादि (सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु)		
	6. खनिज पट्टा की वैधता, पट्टा क्षेत्र (वन + गैर वन), Total proven reserve] वार्षिक निष्कर्षण (MTPA), वन स्वीकृति की शर्तों का परिपालन, खनन योजना, प्रगतिशील खदान समापन योजना (अगर पूर्व अनुमोदन प्राप्त है), रिवल्वेशन (अगर हो तो) की स्थिति, (केवल खनिज परियोजनाओं के लिए)		
	7. 15 कि.मी परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिह्नंकन (केवल खनन प्रकरणों में)	संलग्न है।	
23	विस्थापितों का पुर्नवास		
	1. प्रभावित परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है।	
	2. परिवारों की श्रेणी (Category)		
	3. पुर्नवास योजना का विवरण		
	कास्ट बेनिफिट रेशियो	आवश्यकता नहीं है।	
	1. कुल लाभ		
	2. कुल लागत/वनों को क्षति		
	3. अनुपात		
25	परियोजना की कुल लागत		
26	रोजगार क्षमता		
	1. निर्माण अवस्था/अस्थायी (कुल श्रम दिवस)		
	अ. प्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	250	
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल)(श्रम दिवस)	500	
	2. निर्माण पश्चात/अस्थायी (कुल श्रम दिवस)		
	अ. प्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)		
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)		

क्र.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्रमांक
27	जिले की रूपरेखा (Profile)	जांजगीर चांपा वनमंडल कोरबा व.मं.	205-210
1.	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	4466740 हे. 2820 वर्ग किमी	
2.	कुल वन क्षेत्र/वनमंडलों के अधीन वन क्षेत्र	25006.60 हे. 2136.47	
3.	1980 से कुल व्यपवर्तित क्षेत्र एवं प्रकरणों की संख्या	4 प्रकरण 232.894 हे. 17 प्रकरण 1089.268 हे.	
4.	1980 से निर्धारित वैकल्पिक वृक्षारोपण		
अ.	वनभूमि	153.000 हे. 2779.096 हे.	
ब.	वनभूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण		
स.	गैर वनभूमि	41.7999 हे. 20.000 हे.	
5.	आज की स्थिति में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति		
अ.	वनभूमि		
ब.	वनभूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण		
स.	गैर वनभूमि		

☞ (यह चेक लिस्ट भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्रा दिनांक 27.07.2016 के आधार पर है)

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा